न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 59/2021 (GCMS No. 2021/63) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामलाल पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी टूटवास की ढाणी महापुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला जिला सवाई माधोपुर।

...........अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा।

अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा दिनांक 10.10.2019 प्र.सं. 270/19 उनवान सरकार बनाम रामलाल एवं आदेश अति. जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 18.02.2021 मुकदमा नं. 83/2019 उनवानी रामलाल बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. श्री जगन्नाथ जाट, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य **दिनांक : 07.07.2023**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 18.02.2021 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 10.10.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने दिनांक 10.10.2019 को अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 327 रकवा 0.10 विस्वा, ख.नं. 328 रकवा 0.10 विस्वा, ख.नं. 327/1852 रकवा 0.05 विस्वा वाके ग्राम महापुरा में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

बाडा बनाकर, चरी बोकर चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानकर तीन माह की सिविल कारावास एवं लगान की 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा अति. जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को पेश की गई, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 327 रकवा 0.10 विस्वा, ख.नं. 328 रकवा 0.10 विस्वा, ख.नं. 327/1852 रकवा 0.05 विस्वा भूमि वाके ग्राम महापुरा पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सजा से दण्डित करने में भूल की है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। तहसीलदार ने चारागाह भूमि को दिनांक 05.12.2010 से लेकर 12.12.2019 के बीच अतिक्रमण मुक्त कर दिया है तथा बेदखल किया जा चुका है। अपीलान्ट की सही प्रकार से तामील नहीं हुई है। सबूत सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय है कि जब तक अपीलान्ट को मौके पर जाकर भौतिक रूप से विवादित भूमि से बेदखल नहीं कर दिया जाता, तब तक अपीलान्ट को सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। प्रकरण में कब्जे, मौके से बेदखली तथा स्वतंत्र गवाहान के बयान नहीं लिये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं सबूत पेश करने को कोई अवसर नहीं दिया तथा प्रिन्टेड प्रोफार्मा पर निर्णय दिया है। तहसीलदार ने मौके पर जाकर कब्जे की कोई जॉच नहीं की। पटवारी हल्का के बयान भी प्रिन्टेड प्रोफार्मा में लिये गये। जिरह तथा सबूत दस्तावेजात पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। न ही पूर्व में पारित बेदखली के बावत् उपस्थित गवाहान के बयान लिये गये। अपीलान्ट को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है। वर्ष 2019 के बाद से मौके पर कब्जा नहीं है। मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ पेश की जा चुकी है। प्रथम न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 का ज्ञान प्रार्थी को नहीं था तथा बाद में कोरोना महामारी फैल जाने के कारण प्रार्थी उक्त अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था तथा दिनांक 04.07.2021 को जब पुलिस प्रार्थी का वारन्ट लेकर गॉव पहुँची तब पता चला। प्रार्थी ने नकल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 06.07.2021 को प्राप्त हुई। इसलिए अपील बिना बिलम्ब के प्रस्तुत है। अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील में हुये बिलम्ब को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद मानी जावे।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर आरआरडी 1979 पेज 559 पेश की है।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय बहाल रखा जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय की नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश प्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2021 को पारित किया गया, जिसके विरूद्ध दिनांक 08.07.2021 को न्यायालय हाजा में द्वितीय अपील पेश की गई। अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा कोरोना महामारी फैलने एवं पुलिस द्वारा वारन्ट लेकर गॉव पहुॅचने पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश का पता चलने के कारण अपील में देरी होने का उल्लेख किया है। न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र पर उल्लेखित तथ्यों से देरी किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अपील प्रस्तुत करने में हुये बिलम्ब को कन्डोन किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा अपने तर्को में मुख्य कथन किया कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई साक्ष्य नहीं है। पूर्व में पारित बेदखली के समय उपस्थित गवाहान के बयान नहीं लिये गये हैं। वर्ष 2019 के बाद अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12.12.2019 द्वारा दिनांक 05.12.2019 से 12.12.2019 तक ग्राम महापुरा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर कब्जेराज लिया जाकर डौल लगवाई जा चुकी है। उक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय के मत में चूॅकि वर्तमान में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा शेष नहीं रहा। तदनुसार सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुये अपील आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा के यहॉ विवादित आराजी पर भविष्य में अतिक्रमण न किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2019 में उल्लेखित 3 माह के सिविल कारावास के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है। शेष आदेश बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07.07.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर